2020/00160

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)मुकाम–सिरोही
बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

प्रार्थीगण	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
1– छोगाराम पुत्र श्री डायाजी 2– जुहारमल पुत्र श्री जगनाजी सभी आयु व्यस्क जाति पुरोहित पेशा खेती निवासी जावाल तहसील व जिला सिरोही राज.		1– राज. राज्य जरिये जिला कलेक्टर महो.. सिरोही 2– तहसीलदार सिरोही

किस्म मुकदमा 212 आर.टी.एक्ट बाबत प्राप्त करने अस्थाई निषेधाज्ञा

रा.प्रा.पत्र प्रकरण सं. 132/2020

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
27–10–2020	प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री नगेन्द्रकुमार मेडतियॉ ने यह प्रार्थनापत्र अ.धा. 212 आर.टी.एक्ट के तहत विरूद्व अप्रार्थी राज.जरिये कलेक्टर महोदय सिरोही व तहसीलदार सिरोही का वास्ते प्राप्त करने अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया । हमने प्रार्थनापत्र के साथ वादग्रस्त कृषि आराजी की जमाबंदी संवत खाता संख्या 748 खसरा नंबर 421,428 से 431 कुल खसरे 5 कुल क्षेत्रफल 5.6700 हैक्टेयर व खसरा नंबर 432 रकबा 0.22 हैक्टेयर व खसरा नक्शा का अवलोकन कर उस पर मनन किया । प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों से प्रथम दृष्टियॉ आश्वस्त होने से दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी हो । वकील प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र अ.धा. 212 आर.टी.एक्ट पर एक तरफा अंतरिम बहस करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण उक्त आराजी पर सैटलमेण्ट के पूर्व से लगातार काबिज होने से धारा 15 आर.टी.एक्ट के अनुसार वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक बन चुके है। अप्रार्थीगण को प्रार्थीण के नाम से राजस्व अभिलेख मे बतौर खातेदार नाम दर्ज नही किया जा रहा है। उक्त आराजी राजस्व अभिलेख मे बिलानाम दर्ज होने से अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी मे प्रार्थीगण के हक अधिकारो को चुनौतीयॉ दी जा रही है। अप्रार्थीगण लगातार प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने की धमकियॉ दे रहे है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टयॉ केस है। वादग्रस्त आराजी तथा अन्य आराजी प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारान के पुश्तैनी खातेदारी तथा कब्जा काश्त ... तथा आराजी पर लगातार काबिज होकर उपभोग व उपयोग ... रहे ... सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष मे ... अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि ... प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि आराजी से वंचित हो जायेंगे ... अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना... स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण तथा उसके अधिनस्थ कर्मचारियों के विरूद्व ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी करावे कि अप्रार्थीगण तथा उसके अधिनस्थ कर्मचाररी प्रार्थीगण की मौजा जावाल के खसरा नंबर 432 की 0.22 हैक्टेयर आरिजी से बेदखल नही करें ,प्रार्थीगण के निर्माण को नही तोडे ,रेकर्ड व मोके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 20–11–2020 को पेश हो ।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:52:55 IST
Reason: SelfAttested

20-11-20

पत्रावली पेश हुई। हमने प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र मय वादगस्त आराजी की जमाबंदी व खसरा नक्शा की प्रतियों का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया । वकील प्रार्थीगण की एक तरफा अतरिम बहस पर भी मनन किया । संलग्न जमाबंदी अनुसार ग्राम जावाल के खसरा नंबर 432 रकबा 0.22 हेक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता राजस्व रिकार्ड में राजकीय खाता संख्या 1 मे दर्ज है जिस बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है जो कतई उचित नही कहा जा सकता। केवल मात्र कब्जे के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है जो अनुचित है। ऐसी स्थिति मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नही होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है चूंकि प्रश्नगत भूमि गै.मु. रास्ते के रूप मे दर्ज है जो कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि होकर आवंटन के लिये प्रतिबंधित है। तहसीलदार सिरोही को निर्देश दिये जाते है कि धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।

(हॅसमुख कुमार)
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही(राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Harsmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:52:55 IST
Reason: SelfAttested